प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.12.2025

थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद के द्वारा वर्ष 2025 में साइबर अपराध पीड़ितों को 18.50 करोड़ रूपये की धनराशि रिफण्ड कराते हुए कुल 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

वर्तमान डिजिटल ट्रांजेक्शन के युग में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा इस वर्ष तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की गयी। इस वर्ष में साइबर अपराध पीड़ितों को राहत पहुँचाने हेतु पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के साइबर क्राइम थाना द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है –

क्र0सं0	फ्रॉड के प्रकार	पंजीकृत अभियोग	रिफण्ड धनराशि
1	शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड	124	14 करोड़
2	टेलिग्राम टास्क फ्रॉड	55	2.06 करोड़
3	डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड	14	34.84 लाख
4	ए.पी.के. फाइल फौन हैकिंग फ्रॉड	24	33.30 लाख
5	क्रिप्टो करेन्सी फ्रॉड	5	59.66 लाख
6	अन्य फ्रॉड	43	1.30 करोड़

साइबर अभियुक्तों द्वारा साइबर अपराध में प्रयोग किये गये कुल 2098 बैंक खातों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा अभियुक्तों द्वारा इन अपराधों में प्रयोग किये गये कुल 2958 मोबाइल नम्बर तथा 3147 IMEI नम्बर ब्लाक कराये गये।

साइबर क्राइम से बचाव हेतु जनता के लिये अपराध वार सुझाव इस प्रकार हैं

शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड

साइबर अपराधी इन्स्टाग्राम/फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित AI द्वारा बनाये गये प्रतिष्ठित व्यक्तियों के फेक वीडियो विज्ञापन द्वारा प्रलोभित कर शेयर ट्रेडिंग सम्बन्धित टिप्स देने के लिये WhatsApp ग्रुप पर पीडित को जोड़कर एवं फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड कराते हैं। इन फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप पर शेयर ट्रेडिंग हेतु झांसा देकर, विभिन्न बैंक खातों में पैसा जमा कराते हैं। जब इन ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा पीडित निकालने का प्रयास करता है तो विभिन्न टैक्स के नाम पर अतिरिक्त पैसे जमा कराने की कोशिश करते हैं। जब पीडित पैसा नहीं निकाल पाता तब उसे अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है।

ऐसे शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड से बचने के लिये शेयर ट्रेडिंग सदैव अधिकृत कम्पनी के माध्यम से ही करें। शेयर ट्रेडिंग हेतु अधिकृत कम्पनी के ही बैंक एकाउण्ट में पैसा जमा करें। प्रत्येक शेयर ट्रेड के बाद सम्बन्धित कम्पनी से शेयर एलॉटमेंट की ईमेल चेक करें। Institutional Account द्वारा कम्पनी से सीधे IPO दिलाने के झाँसे में न आयें।

टेलीग्राम टास्क फ्रॉड

साइबर अपराधी वर्क फ्रॉम होम के जरिये घर बैठे पैसे कमाने का लालच देकर Telegram या WhatsApp के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों के Google रिव्यू देने पर पैसे मिलने का लाभ दिखाते हैं। शुरुआत में Google रिव्यू टास्क कराकर कुछ पैसे पीडित को देते हैं, उसके बाद Prepaid Task के नाम पर पैसे जमा करवाते हैं। इस टास्क के माध्यम से कमाये गये पैसे जब पीडित निकालने का प्रयास करता है तो ये अपराधी और टास्क Complete करने को या पैसा निकालने के लिये विभिन्न टैक्स जमा कराने के नाम पर और अधिक पैसे जमा कराते हैं। पीडित ज्यादा पैसा पाने के लालच में टैक्स के नाम पर या टास्क कम्पलीट करने के नाम पर और पैसे जमा करते जाते हैं। पीडित जब पैसे नहीं निकाल पाता तब उसे अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है

ऐसे टेलीग्राम टास्क फ्रॉड से बचने के लिये वर्क फ्रॉम होम के नाम पर टेलीग्राम या व्हाटसएप मैसेज को रेस्पॉन्ड करने से बचें। गूगल रिव्यू के नाम पर प्रीपेड टास्क से बचें। किसी भी अधिकृत कम्पनी द्वारा विभिन्न नाम के बैंक एकाउण्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है।

सेक्सटॉर्सन फ्रॉड

सेक्सटॉर्सन फ्रॉड में साइबर अपराधियों द्वारा फेसबुक मैसेंजर/व्हाटसअप पर 20 से 65 वर्ष की उम्र के पुरुषों की Profile फोटो देखकर उन्हें टारगेट बनाया जाता है। के माध्यम से चैटिंग की जाती है तथा पीड़ित की समस्त सोशल मीडिया एकाउण्ट की जानकारी कर लेते है। पीडित के मोबाइल पर WhatsApp / फेसबुक मैसेंजर से Video Call लड़कियों से कराते हैं। Video Call पर लड़की अपने कपड़े निकाल देती है तथा इस Video Call की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाती है। इसके बाद साइबर अपराधियों द्वारा पीडित को पुलिस अधिकारी/ YouTube अधिकारी बनकर YouTube पर वीडियो वायरल करने तथा पीडित के परिचितों की सोशल मीडिया से डिटेल लेकर उनको भेजने का भय दिखाकर ब्लैकमेल कर पैसे वसूलते हैं।

ऐसे सेक्सटॉर्सन फ्रॉड से बचने के लिये अन्जान लोगों की वीडियो कॉल न उठायें। अपनी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो इत्यादि सोशल मीडिया पर शेयर करने से बचें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान लोगों से दोस्ती करने से बचें, सोशल मीडिया प्रोफाइल की ''प्राइवेसी सेटिंग्स'' में यह चयन करने का विकल्प देती है कि कौन आपके पोस्ट व फोटो देख सकता है एवं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है। इन्हीं सेटिंग्स में "My Friends Only" सेटिंग का चयन कर अनजान लोगों को अपने प्रोफाइल तक पहुँचने से रोकें अगर आपके साथ सेक्सटॉर्सन का साइबर फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल पुलिस से शिकायत करें एवं अपराधियों को पैसे न दें।

फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट

साइबर अपराधियों द्वारा पीडित के पास FedEx Courier के नाम से फोन कॉल की जाती है कि आपके नाम से Courier बुक कराया गया है, जिसमें US Dollar, Drugs, Mobile Sim, Fake Passport आदि मिले हैं, जिसकी शिकायत नारकोटिक्स सेल को कर दी गयी है। FedEx Courier वाला नारकोटिक्स सेल वालों को कॉल ट्रांसफर करने का दिखावा करता है। नारकोटिक्स सेल वाला Skype app पर वीडियो कॉल से जुडने के लिये कहकर वीडियो कॉल पर पीडित को ले लेते हैं और उसे Fake पुलिस अधिकारी ID , Arrest Warrant शेयर करते हैं। साइबर अपराधी Skype Video Call पर पीडित को बैकग्राउण्ड में पुलिस थाने का सेटअप दिखाकर पीडित को डराकर उसके अकाउंट की डिटेल लेकर अपने खातों में पैसे ट्रॉस्फर करा लेते हैं। चूँकि इस अपराध के दौरान साइबर अपराधी पीडित को डराकर उसे किसी से सम्पर्क नही करने तथा घर से बाहर नहीं निकलने देते इसलिये इसे मीडिया द्वारा डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है।

ऐसे फेडेक्स कोरियर / डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड से बचने के लिये कोरियर सम्बन्धित किसी भी अनजान कॉल पर रेस्पॉन्ड न करें , स्काइप वीडियो कॉल से न जुड़ें , बैंक के एकाउण्ट डिटेल न दें। इस तरह की कॉल आने पर पुलिस से तत्काल शिकायत करें।

पुलिस थ्रेट फ्रॉड

साइबर अपराधी पुलिस वाला बनकर पीडित को कॉल कर कहते हैं कि आपका बेटा रेप केस में या बेटी ड्रग्स के केस में फंस गई है। Artificial Intelligence का प्रयोग कर सोशल मीडिया से उसकी आवाज की कॉपी कर उस बच्चे की रोते हुए एवं बचाने की आवाज सुनवाकर पीडित को पूरी तरह झांसे मे ले लेते हैं। पीडित से साइबर अपराधी कहता है कि अगर तुरन्त पैसे ट्रांसफर कर दो तो वो उसे छोड़ देंगे। पीडित भयवश पैसे ट्रांसफर कर देता है। पीडित को बाद में अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड का पता चलता है।

ऐसे पुलिस थ्रेट फ्रॉड से बचने के लिये इस तरह की कॉल आने पर सबसे पहले अपने बच्चे से सम्पर्क करें इस तरह की कॉल आने पर पुलिस से तत्काल शिकायत करें

फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड

पीडित जब गूगल पर किसी कम्पनी/बैंक आदि के कस्टमर केयर का नम्बर सर्च कर कम्पनी/बैंक की अधिकृत बेवसाइट से नम्बर न लेकर अन्य जगह से नम्बर ले लेता है जोकि साइबर अपराधियों का नम्बर होता है। पीडित इन नम्बरों पर कॉल करता है तो साइबर अपराधी उसकी समस्या हल करने के लिए कम्पनी का कस्टमर केयर एप के नाम पर Remote Access App की APK फाइल/ऐप डाउनलोड कराकर मोबाइल का रिमोट कन्ट्रोल एक्सेस ले लेते हैं। पीडित के मोबाइल को हैक कर उसका कन्ट्रोल लेकर उसके मोबाइल बैंकिग का उपयोग कर पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं।

ऐसे फोन हैक / कस्टमर केयर फ्रॉड से बचने के लिये कस्टमर केयर का नम्बर सदैव अधिकृत बेवसाइट से ही लें। किसी भी अनधिकृत लिंक के माध्यम से कोई भी ऐप डाउनलोड न करें। इस तरह कोई ऐप यदि मोबाइल में डाउनलोड हो जाये तो मोबाइल का इन्टरनेट तुरन्त बन्द कर दें तथा तत्काल पुलिस से शिकायत करें।

CYBERDOST

I4C द्वारा साइबर क्राइम के प्रति लोगों जागरूक करने के लिये Cyberdost के नाम से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। Cyberdost से सोशलमीडिया प्लेटफार्म पर जुडने के लिये WhatsApp की Settings में जाकर Updates में Cyberdost को Search कर Channel को Follow करें। इसके अलावा निम्न दिये हुये सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी Cyberdost Channel को Follow कर सकते हैं।

साइबर क्राइम होने पर क्या करें

- वित्तीय साइबर फ्रॉड होने पर 1930 पर कॉल करें
- सभी प्रकार की साइबर अपराध की घटना पर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) की वेबसाइट www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
- अपने थाने की साइबर सेल से सम्पर्क करें।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा नाबालिग लड़की से दुष्कर्म कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 29.12.2025 को पीड़िता की माता द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष है जो अपनी बुआ के घर इकबाल कालोनी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद घूमने के लिए आयी थी। बुआ के घर पर उसका लड़का महराजू रात को गंदी फिल्म देख रहा था तभी पीड़िता को देखकर उसकी नीयत खराब हो गई और पीड़िता को भी गंदी फिल्म दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर के आधार पर धारा 65(1),351(2) बीएएस व 3/4(2) पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.12.2025 को अभियुक्त महराजू पुत्र नसरूद्दीन नि0 इकबाल कालोनी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को 60 फुटा रोड कट के पास गरिमा गार्डन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता मेरे घर घुमने के लिए आयी हुई थी। रात में जब मैं गंदी फिल्म देख रहा था तभी पीड़िता को देखकर मेरी नीयत खराब हो गयी और मैने उसे भी गंदी फिल्म दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

महराजू पुत्र नसरूद्दीन नि0 इकबाल कालोनी पसौंडा थाना टीलामोड गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त महराजू उपरोक्त के विरूद्ध उपरोक्त अभियोग के अतिरिक्त कोई अभियोग पंजीकृत नही है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा लोक शान्ति व्यवस्था भंग करने के अभियोग में 10 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 08 तलवार बरामद।

दिनांक 29.12.25 को थाना शालीमार गार्ड़न पर सोशल मीडिया से प्राप्त वीडियो व सूचना में जिसमें हिन्दु रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा अपने अन्य साथीगण हर्ष चौधरी,अन्नू,श्याम यादव,अमित सिहं,मोहित कुमार,अरुण जैन,उजाला सिह,अमित कुमार,महेन्द्र प्रधान, रामपाल, मोहित, राधेश्याम, अमित प्रजापति, श्रवण चदेल, कपिल आदि कुछ अन्य 25-30 अज्ञात व्यक्तियों के साथ हिदु रक्षा दल के कार्यालय 150 फूटा बुद्ध बाजार रोड प्लाट न0 ए-16 शालीमार गार्डन एक्स-02 पर तलवारों को वितरित किया जा रहा है तथा इसके साथी उन तलवारों को हाथो मे लेकर उग्र होकर प्रदर्शन व नारे बाजी कर रहे थे । जिसके सम्बन्ध में थाना शालीमार गार्ड़न पर धारा 191(2),191(3),127(2) बीएनएस,7 आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 1932 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में अभियुक्तगण 1.कपिल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी म0न0 198 गली नं0 5 राजेन्द्र नगर मो0नं0 999735134 उम्र करीब 38 वर्ष 2. श्याम प्रसाद पुत्र रघुवीर सिहं नि0 ए- 17 महागुन अपार्टमेंट बी-3 शालीमार गार्डन एक्स 2 उम्र करीब 52 वर्ष 3.अरुण जैन पुत्र सुशील जैन नि0 806 प्लाट नं0 एफ 4 शालीमार गार्डन एक्स1 उम्र करीब 43 वर्ष 4.रामपाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिहं नि0 बी-199 डीएलएफ भोपुरा साहिबाबाद उम्र करीब 43 वर्ष 5.अमित सिंह पुत्र वीर सिहं निवासी-महागुन एपार्टमेंन्ट सोसाईटी ए-17 एक्स 2 उम्र करीब 35 वर्ष 6.अमित कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ए 21 एक्सटेंशन 2 शालीमर गार्डन उम्र करीब 28 वर्ष 7. अमित अरोरा पुत्र अमर सिंह निवासी मकान नंबर 423 लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष 8. मोहित कुमार पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी ए 16 शालीमर गार्डन एक्सटेंशन 2 उम्र करीब 30 वर्ष 9. देवेंद्र बघेल पुत्र राजपाल निवासी ए 16 शालीमर गार्डन एक्सटेंशन 2 उम्र करीब 25 वर्ष 10. उजाला सिंह पुत्र स्व0 ब्रह्म सिंह निवासी ए 16 शालीमर गार्डन एक्सटेंशन 2 उम्र करीब 59 वर्ष को 08 तलवार सहित प्रेम गली टेलीफोन एक्सचेंज के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब हम लोगों का एक हिन्दू रक्षा दल नामक संगठन है जिसका अध्यक्ष पिंकी चौधरी है आज हम लोग पिंकी चौधरी के कहने से डेढ सौ फुटा रोड शालीमार गार्डन कार्यालय पर इकट्ठा हुए थे जिसके कहने पर हम लोग ये तलवारें लोगों को बाट रहे थे तलवारों का प्रबंध पिंकी चौधरी द्वारा ही किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. कपिल कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी म0न0 198 गली नं0 5 राजेन्द्र नगर मो0नं0 999735134 उम्र करीब 38 वर्ष।

2. श्याम प्रसाद पुत्र रघुवीर सिहं नि0 ए- 17 महागुन अपार्टमेंट बी-3 शालीमार गार्डन एक्स 2 उम्र करीब 52 वर्ष ।
3. अरुण जैन पुत्र सुशील जैन नि0 806 प्लाट नं0 एफ 4 शालीमार गार्डन एक्स1 उम्र करीब 43 वर्ष ।
4. रामपाल पुत्र स्व0 राजेन्द्र सिहं नि0 बी-199 डीएलएफ भोपुरा साहिबाबाद उम्र करीब 43 वर्ष।
5. अमित सिंह पुत्र वीर सिहं निवासी-महागुन एपार्टमेंन्ट सोसाईटी ए-17 एक्स 2 उम्र करीब 35 वर्ष।
6. अमित कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ए 21 एक्सटेंशन 2 शालीमर गार्डन उम्र करीब 28 वर्ष।
7. अमित अरोरा पुत्र अमर सिंह निवासी मकान नंबर 423 लाजपत नगर साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 52 वर्ष।
8. मोहित कुमार पुत्र विजेंद्र सिंह निवासी ए 16 शालीमर गार्डन एक्सटेंशन 2 उम्र करीब 30 वर्ष।
9. देवेंद्र बघेल पुत्र राजपाल निवासी ए 16 शालीमर गार्डन एक्सटेंशन 2 उम्र करीब 25 वर्ष।
10. उजाला सिंह पुत्र स्व0 ब्रह्म सिंह निवासी ए 16 शालीमर गार्डन एक्सटेंशन 2 उम्र करीब 59 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- 08 तलवार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना शालीमार गार्डन पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च द्वारा प्रतिबन्धित Eskuf Cough Syrup व Phensedyl Cough Syrup की कालाबाजारी व तस्करी करने वाला अन्तर्राज्यीय गिरोह का एक अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त, अपराध व सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च, नन्दग्राम पुलिस व सोनभद्र पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 3/4.11.2025 की रात्रि में मेरठ रोड स्थित मछली गोदाम परिसर में बरेली-गोरखपुर ट्रान्सपोर्ट के गोदाम से कुल 08 अभियुक्तों को गिरफ्तार वहां खड़े 04 ट्रकों से कुल 1150 पेटी कफ सीरप जिसमें 850 पेटी Eskuf Cough Syrup व 300 पेटी Phensedyl Cough Syrup की जिन्हें चुनों के बोरों के बीच में छिपाकर रखा गया था, को बरामद किया गया था। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना नन्दग्राम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मु०अ०सं0-691/2025 धारा 336(3)/319(2)/318(4)/3(5) बी०एन०एस० व 8/22/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट पजीकृत हुआ था। मुकमदा उपरोक्त की विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर DP Enterprises के मालिक दीप प्रकाश गुप्ता द्वारा RS Farma के मालिक सौरभ त्यागी व Vanya Enterprises के मालिक विशाल उपाध्याय के बीच वर्ष 2024-25 में करीब 05 करोड़ रूपये की लेन-देन प्रकाश में आयी। विवेचना के क्रम में दौराने साक्ष्य संकलन प्रकाश में आया कि DP Enterprises का अस्तित्व नहीं है, केवल अवैध धन को वैध मन में परिवर्तित

करने हेतु कागजी तौर पर DP Enterprises के मालिक द्वारा सचालन किया जा रहा था और अवैध तस्करी में सहयोग किया जा रहा था। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में DP Enterprises के मालिक दीप प्रकाश गुप्ता का नाम प्रकाश में आया था।

उक्त क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त, अपराध के नेतृत्व में स्वाट टीम, क्राइम ब्रान्च द्वारा दिनांक 29.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर हिण्डन विहार मेट्रो स्टेशन के पास से एक अभियुक्त दीप प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री पुत्तु लाल गुप्ता निवासी 243. लाइन पुरवा, एस०बी०आई० के पीछे, थाना कोतवाली शहर जनपद हरदोई उम्र करीब 50 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त दीप प्रकाश गुप्ता उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह वर्ष 2005 से उड़ीसा में रहकर मेडिसिन का कार्य करता था। जहाँ पर वह एम०आर० से सम्पर्क करके दवाईयां लेकर दिल्ली सप्लाई करता था, जिसके कारण उसका दिल्ली आना-जाना रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात विशाल उपाध्याय से हुई थी। वर्ष 2023 उसका उड़ीसा में काम बन्द हो गया तो वह वापस हरदोई आ गया और वर्ष 2024 में दोबारा फिर दिल्ली जाकर विशाल उपाध्याय से मिला। विशाल उपाध्याय ने उसकी मुलाकात RS Farma के मालिक सौरभ त्यागी से कराई और कफ सीरफ की तस्करी के बारे में बताया कि उसको प्रत्येक बोतल के बिल पर 2 से 3 रूपये का कमीशन मिलेगा। उसको केवल अपने नाम एजेन्सी रजिस्टर करानी है। कमीशन के लालच में आकर उसके द्वारा दिसम्बर 2024 में DP Enterprises का लाइसेन्स दिल्ली के पते पर रजिस्टर्ड करवाया गया। उसकी इस फर्म को मुख्य रूप से Vanya Enterprises के मालिक विशाल उपाध्याय व RS Farma के मालिक सौरभ त्यागी संचालित करते थे। यह दोनों अपनी फर्मों से उसकी फर्म के नाम पर बिल काटते है। जिसमें लेबोरेट कम्पनी द्वारा उत्पादित Eskaf Cough Syrup होता है। यह लोग उक्त Eskul Cough Syrup की तस्करी कर मोटा पैसा कमाते थे तथा उस रूपये में से माल की वास्तविक कीमत का पैसा उसको कैश में मिलता था। जिसे वह विभिन्न माध्यमों से बैंक में नगद जमा कर RS Farma व Vanya Enterprises को आर0टी0जी0एस0 कर देते थे। इस एवैज से उसको कमीशन मिलता था। तस्करी का खुलासा होने पर विशाल उपध्याय ने उसको फोन न रखने व गायब हो जाने को कहा था। इसी कारण वह जगह बदल बदलकर रह रहा था।

मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्य के आधार पर RS Farma के मालिक सौरभ त्यागी व Vanya Enterprises के मालिक विशाल उपाध्याय द्वारा वर्ष 2025 में DP Enterprises के नाम पर Eskuf Cough Syrup के करीब 5 करोड़ रूपये के बिल काटे है, जबकि यह सीरप DP Enterprises को प्राप्त नहीं हुआ है। बिल DP Enterprises के नाम पर काटकर इसकी अवैध तस्करी की गयी है। तस्करी के पैसों को कैश के रूप में DP Enterprises के खातो में जमा कर वैध बनाते हुए अपने खाते में प्राप्त किये गये हैं। इसके अलावा RS Farma के मालिक सौरभ त्यागी व Vanya Enterprises के मालिक विशाल उपाध्याय द्वारा DP Enterprises के नाम पर बिल काटकर Eskuf Cough Syrup की सप्लाई दिखाई गयी है, जबकि सप्लाई DP Enterprises को न होकर अवैध रूप से रेलगाड़ी से तस्करी की जा रही थी । जिसको दिनांक 17.10.2025 में अगरतला, त्रिपुरा में पकड़ा गया

था। जिसके सम्बन्ध में अगरतला जी0आर0पी0एस0 पर मु०अ०सं०-2025/ जी0आर0 पी0एस0/104 दिनांक 17.10.2025 धारा 21 (सी)/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- दीप प्रकाश गुप्ता पुत्र श्री पुत्तु लाल गुप्ता निवासी 243, लाइन पूरवा, एस०बी०आई० के पीछे थाना कोतवाली शहर, जनपद हरदोई उम्र करीब 50 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-अभियुक्त दीप प्रकाश गुप्ता

1. मु०अ०सं०-2025/जी०आर०पी०एस०/104 दिनांक 17.102025 धारा 21 (सी)/29 एनडीपीएस एक्ट थाना अगरतला त्रिपुरा।
2. मु०अ०सं०-691/2025 धारा 336(3)/319(2)/318(4)/3(5) बी०एन०एस०व 8/22/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट थाना नन्दग्राम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

गिरफ्तार करने वाली टीम- स्वाट टीम, काइम ब्रान्च, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 20/12/2025 को थाना मुरादनगर पर वादी मौ0 गुलफान पुत्र सलाउद्दीन उर्फ अल्लू द्वारा तहरीर दी गई कि दिनांक 20.12.2025 को समय दोपहर करीब 1:45 बजे मेरा भाई इमरान ओलम्पिक तिराहा के पास एक साइकिल की दुकान पर बैठा था तभी साबिर पुत्र सजाउद्दीन, यासर पुत्र अलीम, अरफाज पुत्र सलीम, कैफ पुत्र अखलाक व एक बाल अपचारी निवासीगण मौहल्ला कोट, कस्बा व थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद अपने हाथों में तमन्चे, पिस्टल लेकर गाली-गलौज करते हुए आये और एक राय होकर मेरे भाई इमरान को जान से मारने की नीयत से अपने हाथों में लिए तमन्चों व पिस्टल से गोली चला दीं, जिससे मेरा भाई गम्भीर रूप से घायल होकर नीचे गिर गया। भाई को अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा 103(1)/191(2)/191(3)/190/352/351(3)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात उपरोक्त घटना कारित करने वाले बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 30.12.2025 को उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कैफ गाजी पुत्र अखलाक निवासी मौहल्ला कोट कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान उपरोक्त जुर्म को स्वीकार करते हुये बताया कि करीब 18 वर्ष पूर्व मेरे पिता अखलाक की हत्या इमरान ने की थी इसी रंजिश के कारण यह घटना घटित हुई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभियुक्त कैफ गाजी पुत्र अखलाक निवासी मौहल्ला कोट कस्बा व थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाला अभियुक्त घायल अवस्था में गिरफ्तार। कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व आलाकत्ल 01 चाकू बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग व मु0अ0सं0 0655/25 धारा 103(1),238 BNS में तलाश वांछित अभियुक्त अन्तर्गत थाना मुरादनगर के भोवापुर रोड के पास चेकिंग कर रहे थे तभी जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे से संबंधित अभियुक्त गुलहसन उर्फ गुल्ला पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना मुरादनगर भोवापुर रोड की तरफ आ रहा है। यदि जल्दी की जाए तो पकड़ा जा सकता है मुखबिर ने बताया कि उसके पास असलाह भी हो सकता है इस सूचना पर थाना मुरादनगर से अतिरिक्त फोर्स को तलब कर भोवापुर डबल रोड के पास बुलाया गया तथा मुखबिर को साथ लेकर मय फोर्स जंगल में आगे बढ़े तो मुखबिर ने 50 कदम दूर से ही एक व्यक्ति की तरफ इशारा करके बताया कि जिस व्यक्ति की आपको तलाश है वो यही व्यक्ति है उस व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया तो भागने लगा तथा गिर गया स्वयं को पुलिस से घिरता देख तथा पीछा करने पर अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया,पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्यवाही में 01 राउंड फायर किया गया। कराहने की आवाज आने पर छिपते छिपाते हुए पास जाकर देखा तो एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है जिससे पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम गुलहसन उर्फ गुल्लू पुत्र जमालुद्दीन निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद बताया, जिसने पूछताछ करने पर बताया कि मैने दिनांक 27/12/2025 को वकील पुत्र लीलू निवासी सुल्तानपुर की 6 महीने पहले हुए झगड़े की रंजिश के चलते हत्या कर दी थी ,पकड़े गए अभियुक्त से पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व हत्या की घटना से सम्बन्धित आलाकत्ल 01 चाकू बरामद।

घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेज दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने दिनांक 27/12/2025 को वकील पुत्र लीलू निवासी सुल्तानपुर की 6 महीने पहले हुए झगड़े की रंजिश के चलते हत्या कर दी थी क्योंकि वो मेरी महिला मित्र को परेशान करता था ,और छेड़ता था !

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

गुलहसन उर्फ गुल्ला पुत्र जमालुद्दीन निवासी गांव सुल्तानपुर थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस व आलाकत्ल 01 चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार गुलहसन उर्फ गुल्ला के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर 01 तथा थाना निवाड़ी पर 03 मुकदमा दर्ज है।
1.655/2025 धारा 103(1)/238 बीएनएस थाना मुरादनगर
2.237/2015 धारा 120B,147,148,149,302,452 IPC थाना निवाड़ी गाज़ियाबाद
3.245/2015 धारा 25/27 आयुध अधिनियम थाना निवाड़ी गाज़ियाबाद
4.246/2015 धारा 25/27आयुध अधिनियम थाना निवाड़ी गाज़ियाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान हत्या की घटना कारित करने वाले 25-25 हजार के ईनामिया 02 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल 01 अदद पिस्टल मय 03 जिन्दा कारतूस व 01 अदद तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तारी/पुलिस मुठभेड़ का विवरण-

आज दिनांक 29/30.12.2025 की रात्रि को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा दादी भोई मैरिज होम के पास चैकिंग की जा रही थी, चैकिंग के दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि डाबर तालाब क्षेत्र में गोली मारकर हत्या करने वाले दो व्यक्ति एक बुलेट मोटरसाईकिल पर सवार होकर रामलीला मैदान की तरफ आ रहे है, इस सूचना पर थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा मुस्तैदी के साथ रामलीला मैदान के सामने पक्की सडक पर चैकिंग करने लगे, तभी एक बुलेट मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार होकर नगर पालिका रोड की तरफ से रामलीला मैदान की तरफ आते हुये दिखाई दिये। जिन्हे रुकने का इशारा पुलिस पार्टी द्वारा किया गया तो उनके द्वारा मोटरसाईकिल न रोक कर दोनो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया तथा मोटरसाईकिल मोड कर भागने के प्रयास में मोटरसाईकिल फिसलकर गिरने से गिर पडे तथा पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्यवाही में बुलेट मोटरसाईकिल पर सवार दोनो बदमाशों के पैर में गोली लगी जिन्हे घायल अवस्था में मौके पर गिरफ्तार किया गया। नाम पता पूछने पर पुलिस मुठभेड में घायल बदमाशों ने अपना अपना नाम 1. मन्नू उर्फ सुहैल पुत्र इरशाद उर्फ भालू नि0 बंगाली पीर डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गा0बाद 2. शान पुत्र नईम नि0 प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गा0बाद बताया। दोनो अभियुक्तगण 25-25 हजार के ईनामिया है। पुलिस मुठभेड में घायल अभियुक्तगण को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 11.12.25 को एसएलएफ वेद विहार डीएलएफ निवासी शिवम उर्फ लालू पुत्र स्व0 सुनील कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर मु0अ0स0 446/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना अंकुर विहार पर पंजीकृत है। अभि0गण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता

1. मन्नू उर्फ सुहैल पुत्र इरशाद उर्फ भालू नि0 बंगाली पीर डाबर तालाब थाना अंकुर विहार गा0बाद (पुलिस मुठभेड़ में घायल)
2. शान पुत्र नईम नि0 प्रेमनगर लोनी थाना लोनी गा0बाद (पुलिस मुठभेड़ में घायल)

बरामदगी का विवरण –

01 अदद नाजायज पिस्टल मय 03 जिन्दा कारतूस (आलाकत्ल)
01 अदद तमंचा 315 बोर 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
01 बुलेट मोटरसाईकिल (हत्या की घटना में प्रयुक्त)

अपराधिक इतिहास –

घायल अभियुक्त मन्नू उर्फ सुहैल जो कि हिस्ट्रीशीटर है उस पर लूट, हत्या,हत्या का प्रयास, बलवा आदि के करीब डेढ दर्जन तथा घायल अभियुक्त शान पर हत्या,हत्या का प्रयास, रंगदारी आदि 07 अभियोग पंजीकृत है । अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

स्वाट टीम ग्रामीण जोन व थाना अंकुर विहार पुलिस टीम